

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 1445/वित्त/ब-4/2016  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 28/12/2016

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
मंत्रालय, नया रायपुर
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल  
बिलासपुर
3. समस्त विभागाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़

विषय :- वर्ष 2016-17 के बजट आबंटन पर व्यय सीमाएं


- संदर्भ :-
1. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 02/वित्त/ब-4/2016 दिनांक 1 अप्रैल, 2016
  2. वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 912/वित्त/ब-4/2016 दिनांक 16.9.2016

संदर्भित ज्ञापन दिनांक 1 अप्रैल, 2016 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जारी बजट आबंटन संसूचना में प्रथम छमाही, तृतीय तिमाही व चतुर्थ तिमाही के लिए कुल आयोजना बजट प्रावधान की व्यय सीमाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये गये थे। इसके उपरान्त जारी ज्ञापन दिनांक 16.9.2016 के माध्यम से इसमें आंशिक संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 की तृतीय तिमाही के लिए आयोजना बजट की राशि की विभागवार व्यय सीमा एवं आयोजनेतर मद के आबंटन में वार्षिक व्यय सीमा नियत की गई थी।

2- वित्तीय वर्ष 2016-17 की अंतिम तिमाही के लिए आयोजना बजट की राशि की विभागवार व्यय सीमा संलग्न तालिका के कॉलम (3) अनुसार नियत की जाती है। अपवादस्वरूप कतिपय विभागों की तृतीय तिमाही की आयोजना में संदर्भित ज्ञापन क्रमांक (1) में उल्लेखित आयोजना बजट के 35 प्रतिशत अंश में कमी की गई है तथा आयोजनेतर मद के आबंटन में वार्षिक व्यय की सीमा संलग्न तालिका के कारण कॉलम (4) में दर्शाए अनुसार नियत की गई है। विभाग अधीनस्थ बजट नियंत्रण अधिकारियों को तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित करे।


3. किसी भी स्थिति में मार्च माह में 15 प्रतिशत से अधिक व्यय न किया जाए। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

संलग्न :- यथोपरि

  
(कमलप्रित सिंह)  
विशेष सचिव

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर
4. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़
5. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, बलौदाबाजार रोड, जीरो प्वाइंट, रायपुर
6. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
7. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
8. विशेष सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर
9. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
10. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
11. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
12. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु
13. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., मंत्रालय, नया रायपुर

- सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

  
(अरविंद कुजूर)  
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी  
दूरभाष 0771-2510892

# तालिका

(रु. करोड़ में)

विभाग कोड	विभाग	चतुर्थ तिमाही हेतु आयोजना व्यय सीमा	आयोजनेतर मद में वार्षिक व्यय सीमा
1	2	3	4
01	सामान्य प्रशासन विभाग	4.11	194.72
02	गृह विभाग	19.65	3331.26
03	जेल विभाग	0.00	142.82
04	वित्त विभाग	11.85	9976.34
05	वाणिज्यिक कर विभाग	0.00	339.45
06	धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग	3.64	3.71
07	राजस्व विभाग	30.47	1282.48
08	परिवहन विभाग	5.99	48.44
09	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	21.69	28.67
10	वन विभाग	226.35	760.31
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	118.60	34.99
12	खनिज साधन विभाग	223.56	205.84
13	ऊर्जा विभाग	750.35	392.47
14	कृषि विभाग	477.88	553.32
15	सहकारिता विभाग	115.93	53.37
16	श्रम विभाग	29.14	49.60
17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	734.06	489.06
18	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	591.36	1339.31
19	लोक निर्माण विभाग	1463.77	1454.43
20	स्कूल शिक्षा विभाग	2343.75	3731.11
21	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	19.72	355.33
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	2115.26	1776.37
23	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	38.33	37.90
24	जन संपर्क विभाग	1.05	113.51
25	आदिम जाति कल्याण विभाग	558.26	347.17
26	समाज कल्याण विभाग	120.38	495.24
28	पुनर्वास विभाग	0.00	5.67
29	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	1332.93	818.98
30	संस्कृति विभाग	11.64	14.14
31	जल संसाधन विभाग	761.24	359.28
32	आवास और पर्यावरण विभाग	259.83	48.51
33	पर्यटन विभाग	13.57	0.00
34	लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी	218.66	276.59
35	पशुपालन विभाग	57.57	312.08
36	मछली पालन विभाग	15.76	36.99
38	उच्च शिक्षा विभाग	145.15	435.39
40	आयाकट विभाग	11.43	0.00
41	विज्ञान और टेक्नॉलाजी	6.00	3.00
42	जन शक्ति नियोजन विभाग	128.00	158.32
43	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	37.99	0.00
45	विमानन विभाग	16.10	25.47
48	संसदीय कार्य विभाग	0.00	64.35
50	महिला एवं बाल विकास विभाग	606.08	13.68
52	ग्रामोद्योग विभाग	18.98	72.00
53	चिकित्सा शिक्षा विभाग	190.79	327.19
	<b>TOTAL</b>	<b>13856.87</b>	<b>30508.84</b>

*(Signature)*